



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 21500 वर्ष 2026

अरुण कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : शुभम द्विवेदी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता(जी.ए.)

न्यायालय संख्या – 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शुभम द्विवेदी तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री शत्रुघ्न यादव को सुना।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को वाद अपराध संख्या-08 वर्ष 2026, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7/12, थाना एंटी करप्शन, बरेली, जनपद बरेली के अंतर्गत जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है तथा मिथ्या आरोपों के आधार पर उसे वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यद्यपि अभियोजन के आरोप के अनुसार आवेदक के कब्जे से ₹10,000/- की कथित रिश्त की धनराशि बरामद हुई है, तथापि यह निर्विवाद है कि रिश्त की कोई मांग आवेदक द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि रिश्त की मांग सह-अभियुक्त निश्चय सिंह द्वारा की गई थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि स्वयं अभियोजन के कथन के अनुसार भी आवेदक ने कथित रिश्त की धनराशि शिकायतकर्ता से सह-अभियुक्त निश्चय सिंह के निर्देश पर प्राप्त की थी, जबकि रिश्त की मांग सह-अभियुक्त निश्चय सिंह द्वारा की गई थी।
5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वस्तुतः आवेदक को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो धनराशि वह प्राप्त कर रहा था, वह रिश्त की धनराशि थी। वह सह-अभियुक्त निश्चय सिंह से मिलने गया था और जब वह वहाँ पहुँचा, तब सह-अभियुक्त निश्चय सिंह ने उससे कहा कि वह उसकी ओर से शिकायतकर्ता से धनराशि प्राप्त कर ले। यद्यपि आवेदक इसके लिए तैयार नहीं था, किन्तु इसी बीच ट्रेप टीम ने सह-अभियुक्त निश्चय सिंह के साथ-साथ आवेदक को भी पकड़ लिया तथा उसके कब्जे से कथित रिश्त की धनराशि बरामद होना दर्शाया गया।
6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि चूँकि आवेदक द्वारा रिश्त की कोई मांग नहीं की गई थी, अतः उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
7. उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वर्तमान प्रकरण में वह दिनांक 21.04.2026 से, अर्थात् पिछले दो माह से अधिक समय से, कारागार में निरुद्ध है।
8. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि आवेदक के कब्जे से ₹10,000/- की रिश्त की धनराशि बरामद हुई थी, किन्तु वह इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि रिश्त की मांग सह-अभियुक्त निश्चय सिंह द्वारा की गई थी। वह इस तथ्य का भी खंडन नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह पिछले दो माह से अधिक समय से कारागार में निरुद्ध है।
9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा वाद के अभिलेख का अवलोकन किया।
10. यद्यपि अभियोजन के आरोपों के अनुसार आवेदक एक लोक सेवक है तथा उसने शिकायतकर्ता से रिश्त की धनराशि प्राप्त की थी और कथित रिश्त की धनराशि उसके कब्जे से भी बरामद हुई थी, तथापि यह निर्विवाद है कि आवेदक ने शिकायतकर्ता से कभी रिश्त की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मांग नहीं की थी। रिश्त की मांग सह-अभियुक्त निश्चय सिंह द्वारा की गई थी तथा स्वयं अभियोजन के कथन के अनुसार भी आवेदक ने शिकायतकर्ता से रिश्त की धनराशि सह-अभियुक्त निश्चय सिंह के निर्देश पर प्राप्त की थी।

11. उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्क में बल पाता है कि वर्तमान चरण पर, प्रथम दृष्टया, आवेदक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत कोई अपराध परिलक्षित नहीं होता है, विशेष रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा नीरज दत्ता बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार), (2023) 4 एस सी सी 731 के वाद में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए।

12. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह वर्तमान प्रकरण में दिनांक 21.04.2026 से, अर्थात् पिछले दो माह से अधिक समय से, कारागार में निरुद्ध है।

13. इसके अतिरिक्त, विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि जब तक किसी अभियुक्त का दोष सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसे निर्दोष माना जाता है तथा जमानत प्रार्थना-पत्र को न तो दंडात्मक उद्देश्य से और न ही निवारक उद्देश्य से निरस्त किया जाना चाहिए।

14. अतः उपर्युक्त विवेचित तथ्यों एवं प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मेरे विचार में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

15. तदनुसार, वाद के गुण-दोष के संबंध में कोई मत व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

16. आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त वाद में आवेदक-अरुण कुमार को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के दो जमानतदारों तथा एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से न्यायालय द्वारा छूट प्रदान न कर दी जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष उन तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ की जाए।

(iii) आवेदक किसी भी प्रकार की आपराधिक अथवा समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

17. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, अभियोजन आवेदक की जमानत निरस्त कराए जाने हेतु इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के प्रयोजनार्थ पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं तथा इन टिप्पणियों का विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन)

24 जून, 2026

कुमार मनीष